enquiry can be conducted and completed, it cannot be said as to what is the correct position.

(ii) Sheloving of certain proposed Steel Plants in South India

SHRI R KOLANTHAIVELU (Tiruchengode): Sir, the Salem Steel Plant's detailed project Report was prepared twice. The second DPR was accepted by the Government and the initial work was started. But now this DPR has been brushed aside. The Salem Steel Plant has just become a fabrication plant, getting plates from Rourkela Steel Plant and then processing it. While this is the fate of Salem Steel Plant along with this Vizienagaram Steel Plant was announced During last year's Chikmagalur election, Mangalore Steel Plant was announced After the ciusing defeat of the ruling party, Mangalore Steel Plant has been put in cold storage. Viziangaram Plant has been shelved. If the industrial climate is not good for the completion of these projects one can appreciate the Government's lukewarm attitude After the advent of the Janata Party at the Centre in 1977, Paradip Steel Plant idea was mooted. Within two years this project is already half-completed When the Government of India imports steel, Now. naturally one gets incensed steel is being imported But Salem Steel Plant has been sliced Vizianagaram Steel Plant and Mangalore Steel Plant has been shelved. I would like to know the reasons for this. I request that the Minister of Steel should make a detailed statement. He should clarify whether South India is not being neglected in this maiter.

(iii) Loss of foodgrains for want of proper storage arrangements by the Food Corporation of India.

डा व सक्सी नारायण पांडेय (मंदसौर): उपाध्यक्र महोदय, मैं झापकी धाज्ञा से नियम 377 के धन्तगंत एक महत्वपूर्ण विषय की घोर इस सदन तथा सरकार का ध्यान झाकणित करना बाहता ।

स्वरूप जहां भाज हजारों हचकों को भपना येहं समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचना पड रहा है नहां भण्डारण की दोषपूर्ण व्यवस्था से करोड़ों रुपयों का सनाज नष्ट होता जा रहा है । विगत दिनो विभिन्न समाचार-पत्नो में भगाज की बर्बादी के जो भांकड़े भाये हैं, वे वास्तव में बौका देने वाले हैं। एक ही वर्ष में करोड़ो की हानि वास्तव में विचारणीय है। हम भ्रपने उत्पा-दन का एक बढा भाग प्रव्यवस्था के फलस्वरूप नष्ट कर देते है। भारतीय खाद्य निगम की बरीदी, भण्डारण, रख-रखाव भ्रादि के बारे में यद्यपि कई बार चवयिं की जाती रही है किन्तु परिणाम भून्य है झौर झाज स्थिति सुधार की बजाय खराबी की झोर है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हमारी इसी दोषपूर्ण नीति का ही परिणाम है कि हम रून को निष्चित माता मे समय पर गेहू नही दे नके है धौर न वियननाम को दिए गए प्रास्तासन की ही पूर्ति कर सके हैं । माज यद्यपि खरीदी कही कही बढ रही है किन्तु उसकी स्थिति भी सन्तोषजनक नहो है। खरीद गया गह बाहर खुले मैदानो में पडा है । उसे भरने के लिए गनीबेरजे भी उपलग्ध नही है । यद्यपि निगम का इम बात का जान था कि उसे गारीदी बरनी है और उस दृष्टि से कहा त्रय केंद्र होगे, कितनी खरीदी प्रत्येक कद्र पर सम्भावित है, भण्डारण की क्या व्यवस्था होगी भथा यानायात का बया प्रबन्ध है आ.दि, किन्तु ऐसे लगता है इन सभी बातों की घोर दुर्ल्देय किया गया है जिससे किसान भी परेशान हैं और गेहू बर्वाद होने की पूरी पूरी सम्भावनाये है । ग्रत यह मावश्यक है कि इस और तुरन्त ध्यान दिया जाए भीर उचित व्यवस्था की जाए जिभसे कि किसान परेशान न हो, मनाज बर्बाद होने से बचे व करोडों की ग्राथिक हानि जो रोका जा सके । इसी प्रकार वर्तमान में भण्डागी में रखे गए, गेहू व चावल की पूरी हिफाजत की जाए ग्रन्यया मनाज खराब होकर ग्रन्पयोगी होने की सम्भावना है जिससे कि ग्राज हो रही करोड़ों की हानि धौर बढ़ सकती है। खाद्य निगम को कई दुर्वेयवस्थाम्रो की म्रोर घ्यान मार्काधत करने के लिए सासदो को घरना भी देना पड़ता है । मैं माननीय कृषि मली जी का व्यान ६स घोर झार्कावत करते हुए निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण स्थिति को गम्भीरता से लें व तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करे जिससे किसानो को समर्थन मूल्य मिले, झनाज बर्बादी से बचे व करोड़ो की ग्रीयक हानि रोकी आ सके ।

(iv) Demonstration by Nepalese in front of their Embassy in New Delhi

भी मनी राम बागड़ी (मणुरा) : उपाध्य महोदय, नैपाल के बारे में धाप ने नियम 377 के धन्तर्गत मुझे धनुमति दी है, मै सब से पहले महामानव डा0 लोहिया को सलाम करूगा जिन्होंने नैपाल विवस मना कर के

Rule 877

भारतीय खाद्य निगम के कुप्रबन्ध के पल-